



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1938 (श०)

(सं० पटना 642) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2016

उद्योग विभाग

आधिसूचना

2 अगस्त 2016

सं० 02/उ०नि० पुनर्वास-04-01/2016-2805—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 29.05.2015 तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिनांक 17.03.2016 को निर्गत निर्देश एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.05.2016 के आलोक में” सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास हेतु बैंकों की प्रक्षेत्रीय समिति “में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उप-उद्योग निदेशक (जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के पुनर्वास संबंधी कार्य देखते हैं) को तथा बैंकों की क्षेत्रीय समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैंकों के क्षेत्रीय मुख्यालय में अवस्थित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को मनोनीत किया जाता है।

2. बैंकों की उक्त समिति जब दो या तीन जिलों का अनुश्रवण करेगी तो वैसी स्थिति में जिस जिला में उक्त समिति की बैठक होगी, उस जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 642-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>